फर्द अहकाम

रुपलाल बनाम कमलाश्रमान

ACEM(F-T) प्रकरण

192/13 प्रपत्र 17

आज्ञा या अधिकारी	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22-12/16	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभावक सब द्वारा न्यायिक कार्यस्थगित रखा P.O. साहब अनुपस्थित है। पत्रावली माईन्दा गत आदेश की पालना में दिनांक 17-2-17 को पेश हो।	
17/2/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभावक सब द्वारा न्यायिक कार्यस्थगित रखा P.O. साहब अनुपस्थित है। पत्रावली माईन्दा गत आदेश की पालना में दिनांक 24-3-17 को पेश हो।	
24/3/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभावक सब द्वारा न्यायिक कार्यस्थगित रखा P.O. साहब अनुपस्थित है। पत्रावली माईन्दा गत आदेश की पालना में दिनांक 21-4-17 को पेश हो।	
21-4-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभावक सब द्वारा न्यायिक कार्यस्थगित रखा P.O. साहब अनुपस्थित है। पत्रावली माईन्दा गत आदेश की पालना में दिनांक 26-5-17 को पेश हो।	
26/5/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित P.O. साहब अनुपस्थित है। पत्रावली माईन्दा की पालना में दिनांक 6-6-17	
6/6/17	आज मूल पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखा गया है, पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसका निस्तारण, सामंजस्य के आधार पर किया जाता है। अतः प्रपत्र 17 के जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 6-7-11 को स्थाई किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली के मूल स्वरूप होने तक संधारित रखी जावे।	

सहायक कलक्टर एवं
पदेन कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जयपुर जिला-जयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner